



Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

Dated : 24/07/2023

No.: RPCB/RO U/UDR/ 659

To,

The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Rajasthan, Room No. 5221, Main Building,
Govt. Secretariat,
Jaipur, Rajasthan

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 13-06-2023 for Environmental Clearance of
M/s K.K. Gupta Construction Pvt. Ltd, Quartz & Feldspar (Plot no.-34) N/v
Bodki, Tehsil-Lasadia, Dist-Udaipur.

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर का पत्र क्रमांक प.39/2(6)राज./खनन/2023/1340
दिनांक 25.04.2023।

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 13-06-2023 for proposed production of M/s K.K. Gupta Construction Pvt. Ltd, Quartz & Feldspar (Plot no.-34) N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, District: Udaipur.

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Encl : As above

Yours Faithfully,

(Sharad Saksena)
Regional Officer

Copy to:-

1. The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
2. Additional District Magistrate, Udaipur
3. Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
4. M/s K.K. Gupta Construction Pvt. Ltd, N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, District: Udaipur.

Regional Officer

मैसर्स के. के. गुप्ता कन्सट्रक्शन प्रा. लि., क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण
संबंधी जनसुनवाई दिनांक 13.06.2023 दोपहर 12.00 AM बजे, राजीव गांधी
भारत निर्माण सेवा केन्द्र शोभाजी का गुडा, ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया,
जिला-उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 08.05.2023 एवं द सण्डे एक्सप्रेस में दिनांक 07.05.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई "मैसर्स के. के. गुप्ता कन्सट्रक्शन प्रा. लि." द्वारा प्रस्तावित क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (प्लॉट संख्या 34/2021 (लीज क्षेत्र 4.5870 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 20.4198 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1475055 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 357564 TPA निकट ग्राम- ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 12.00 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तथा आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/मिाकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/मिाकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

31/1
(ओ.पी. बुनकरी)
अति. जिला कलेक्टर (संसाधन)

अति.
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/पिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 28.09.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में सलग्न) है।

उपरोक्त के पचात इकाई के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार कोंगनिजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आई.ए रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब"के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पचात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, पिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

1. श्री लाल जी डोडिया ग्रामीण-हमारे गांव मे पेड पोधे के लिए स्कूल के लिए और अस्पताल के लिए क्या क्या प्रावधान है।

2. तकनीकी सलाहकार -

ग्रीन बेल्ट के लिये 7 लाख का प्रावधान इसमें किया गया। इसमें जो प्लांटेशन करेगे वो एरिये का 33 प्रतिशत प्लांटेशन करेगे। उसमें इन्होंने इसके लिये 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। प्लांटेशन करते समय अगर यदि ग्रामवासी चाहेंगे तो ये कुछ प्लांटस उनको भी दे देंगे तो आप अपनी जमीन के लिये यदि चाहे तो प्लांट लेकर लगा पायेंगे। इस उद्देश्य को लेकर कि ज्यादा स ज्यादा संख्या में प्लांटेशन हो फिर उसके बाद कि समय-समय पर यहाँ पर कोई केम्प लगे, मेडिकल केम्प लगे, सभी तरह के

३॥
(ओ.पी. इन्सट्र)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मेडिकल केम्प लगे जिससे की मेडिकल सुविधा मिले। इसके सिवा जो आपकी स्कूल की व्यवस्थाओ के लिये है बेसिकली स्कूल के हेड देखेंगे 2 लाख रुपये है जैसे के बच्चो के लिए कोपी कीताबो कि जरूरत हो आपको लगता हे कि बच्चो को अलग से शिक्षा दे आप उसमे यूज कर पाएंगे, लेडीज के लिए सेनेट्री पेड का प्रावधान भी चल रहा है उसमे भी आप कर सकते है इसी तरह से गांव मे यदि कोई सार्वजनिक शोचालय बनाना है तो इसमें 1 लाख रुपये का प्रावधान कर रखा है। मवेशियो के चारे के लिए भी हमने फण्ड का प्रावधान रखा है। इसके सिवा डी.एम.एफ.टी. का तो फण्ड मिल ही रहा है विकास के लिए।

क्षेत्रीय अधिकारी—और कोई कहना चाहे ता आ सकते है ?

3. **श्री लाल जी डोडिया ग्रामीण—** पहले मीटिंग हुई थी उस समय बोलते थे कि यु करा देगे—यु करा देगे। पहले बोला था कि पहले मीटिंग हुई थी उस टाईम बोला था कि पानी पहुचवा देंगे। जो गर्मियों का टाईम था वो तो निकल गया। उसके बाद में बरसात आ जायेगी। उसके बाद क्या। पहले मीटिंग हुई थी उसमें बोला था, तो उसमें टेंकर भेजना था तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये थी पानी की। जब जब बैठे तब बुला दिया फिर बैठे तब बुला दिया। उसके बाद में बरसात आ जायेगी उसके बाद में क्या है। हर टाईम में हर बार जनसुनवाई होगी हर टाईम बुलावोगा। उसके बाद में बरसात आ जायेगी। बरसात आने के बाद में पानी की जरूरत कहां पड़ेगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर—आज की जो जन—सुनवाई है उसके बारे में आपके जो सुझाव जो भी आप आक्षप है वो दे सकते है।

तकनीकी सलाहकार —लेण्ड के बदले लेण्ड ये जो देगे उसमें ये प्लांटेशन के बदले गांव वाले चाहेंगे तो ये प्लांट्स अवलेबल करवा देंगे।

अन्तः में श्री ओ०पी० बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, महोदय की अनुमति से श्री शरद जी सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमुदाय को शांति एवं संयमपूर्वक अपनी बात कहने, जनसुनवाई में भांग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

अन्तः में श्री ओ०पी० बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, महोदय की अनुमति से श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को

31/11
ओ.पी. बुनकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (आवास)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "द" में सलंगन) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "य" में सलंगन) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर-(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

३११

(ओ.पी. बुनकर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (प्रशासन)
जिला-उदयपुर

(शरद सक्सेना)

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्ष.का.रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स के. के. गुप्ता कन्सट्रक्शन प्रा. लि., क्वार्टर एवं फेल्सपार माईन्स (प्लॉट संख्या 34/2021, क्षेत्रफल- 4.5870 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 357564 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 1475055 TPA निकट ग्राम- बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 13.06.2023 को 12.00 AM बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र शोभाजी का गुडा, ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O. P. Bunkar	ADM Udaipur	[Signature]
2	Shard Saini	R=RPCO Udaipur	[Signature]
3	NIMISH SANGHVI	Directr, CREPL	[Signature]
4	Ramkrishna Khushik	TDR Rev.	[Signature]
5	C.P. Jeengaral	RPCR	[Signature]
6	Kynat Anam	CIRPL Udaipur	[Signature]
7	श्री. [Name]	[Address]	[Signature]
8	श्री. [Name]	[Address]	[Signature]
9	श्री. [Name]	[Address]	[Signature]
10	श्री. [Name]	[Address]	[Signature]
11	[Name]	[Address]	[Signature]
12	[Name]	[Address]	[Signature]
13	[Name]	[Address]	[Signature]
14	[Name]	[Address]	[Signature]
15	[Name]	[Address]	[Signature]
16	[Name]	[Address]	[Signature]
17	[Name]	[Address]	[Signature]
18	[Name]	[Address]	[Signature]
19	[Name]	[Address]	[Signature]
20	[Name]	[Address]	[Signature]
21	[Name]	[Address]	[Signature]

PLOT NO.-34









e-Tender Notice

Municipality and Muriyad & Construction of 18 MLD WTP under fee :Rs. 17,700/-, 3:00pm, Phone : 0487-2423230 kerala.gov.in

Superintending Engineer PH Circle Thrissur

e-Tender Notice

Line extension/replacement -K & T Zone. Last Date for submitting 0497705902, kerala.gov.in

Superintending Engineer PH Circle Kannur

Office: 11th Floor, LIC Building, daipur-313002, Ph.: 0294-2686005

IN RENT

Banswara District at the following

Carpet Area Sqft. 800-1000 Sq.ft 800-1000 Sq.ft

premises who have the commercial on ground floor and can change/ space of parking, full detail of the documents with the copy of technical d in each separate envelope after 5:00 PM to Circle Head, Punjab by Center, Udaipur-313002. Bank any reason. For details visit write on main part of envelope Circle Head

Office : Sawaimadhopur

able Property

of the Central Bank of India, struction of Financial Assets and in exercise of powers conferred (Enforcement) Rules, 2002 borrower Mrs. Mamta Jaiswal (agor) to repay the amount Lakh Seventy Eight Thousand 3, within 90 days from the date

by given to the borrower and ion of the property described Section 13(4) of the said Act 7/2023.

cautioned not to deal with the charge of the Central Bank 7/- (Rupees Ten Lakh Seventy e.w.f. 11.01.2023 plus other Section 13(2) has given effect) of section 13(2) of the SARFAESI

OPERTY

Jaiswal W/o Mr. Kamlesh imadhopur (Raj.).

Road

Officer, Central Bank of India

Office : Sawaimadhopur

able Property

of the Central Bank of India, ction of Financial Assets and exercise of powers conferred (Enforcement) Rules, 2002 borrower Mr. Satyanarayan Satyanarayan Meena (Co- nnotice being Rs. 9.86,524/- r Only) plus interest w.e.f. ce. given to the borrower and of the property described Section 13(4) of the said Act 7/2023.

tioned not to deal with the charge of the Central Bank Rupees Nine Lakh Eighty Six 7/2023 plus other charges. (has given effect) Section 13(2) of the SARFAESI

ERTY

E-Procurement Notice
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL PRADESH STATE ROADS TRANSFORMATION PROJECT (HPSRTP)
REQUEST FOR BIDS (RFB)
(Two-Envelope Bidding Process with e-Procurement)
NATIONAL OPEN COMPETITIVE PROCUREMENT

Name of the project: Construction of Balance Cantilever Bridge at Garkhal on Lumpsum Basis.

The Director (Projects) , HPRIDCL, Nirman Bhawan, Nigam Vihar, Shimla-171002, Himachal Pradesh, India on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites online bids (separate) for the construction of the works detailed in the table:-

Name of Work	Bid Security (Rs.)	Cost of Document (Rs.) in cl. GST	Period of Completion	Estimated Cost (INR), 18% GST	Date of availability of bid Documents	Last date & Time for submission of Bids
Construction of Balance Cantilever Bridge at Garkhal on Lumpsum Basis.	Bid Security INR 56.85Lakhs	Rs. 5,900	24 Months	22.74 Cr.incl. 18% GST	May 15, 2023	June 12, 2023

The detailed Request for Bids (RFB) Notice, Bidding Document alongwith other necessary information will be available on <https://himachalservices.nic.in/hpridc/HPSRTP.html> & <https://hptenders.gov.in/> link.
Note:- Any further addendum/Corrigendum to this Request for Bids (RFB) Notice shall be available to all interested bidders on official web site of HPRIDC under <https://himachalservices.nic.in/hpridc/HPSRTP.html> & <https://hptenders.gov.in/> link.

0119/HP Director (Projects) HPRIDCL, Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla-171002

indianexpress.com

I choose substance over sensation.
Inform your opinion with credible journalism.

The Indian EXPRESS
— JOURNALISM OF COURAGE —

KOCHI METRO RAIL LIMITED
(A joint venture company of Govt. of India & Govt. of Kerala)
4th Floor, JLN Stadium Metro Station, Kallur, Ernakulam-682017
Ph: 0484-2846700

E-TENDER

1) Road Widening of Palarivattom Junction to Kunnumpuram Junction (CH. plus 900.00 to CH. plus 4550.00) in connection with KMRL Phase II preparatory works
Tender Id : 2023_kmrl_574558_1
Last date of bid submission : 17-May-2023 06:00 PM

2) Construction of Flyover at Sreekaryam in Thiruvananthapuram
Tender Id : 2023_kmrl_575063
Last date of bid submission : 29.05.2023 05:30 PM

Tender documents can be downloaded from www.etenders.kerala.gov.in/ & www.kochimetro.org
Further corrigendum & addendum will be published only on website

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A. Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone No.: 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/203 Dated : 05/05/23

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स इन्फिनिटी ईन्फ्रा द्वारा क्वार्टर एवं फैक्ट्सपार (अग्रधान खनिज) खदान प्लॉट संख्या 37 खनन क्षेत्रफल 4.0906, उत्पादन क्षमता 289300, (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.9234 हैन्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1406791 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम- बोडकी, तहसील - लसाडिया, जिला- उदयपुर से सम्बंधित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकी मैसर्स इन्फिनिटी ईन्फ्रा, खनन पट्टा प्लॉट संख्या 37 खनन क्षेत्रफल 4.0906, उत्पादन क्षमता 289300 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा बोडकी क्वार्टर एवं फैक्ट्सपार (अग्रधान खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाएं 1. मैसर्स ए एम आर स्टीन एम एल नं. 01/2018 एरिया 3.8605 हैन्टेयर 2. मैसर्स ए एम वी इण्डस्ट्रीज एम एल नं. 02/2018, एरिया 2.2781 हैन्टेयर 3. मैसर्स बोडकी माईन्स एम एल नं. 03/2018 एरिया 2.9215 हैन्टेयर 4. श्री रामवेज तेली एम एल नं. 05/2018, एरिया 3.3862 हैन्टेयर 5. श्री प्रदीप कोठारी एम एल नं. 06/2018, एरिया 3.3865 हैन्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.9234 हैन्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1406791 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) हैं।

3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एम. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

4. उक्त परियोजना से सम्बंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संश्लिष्ट कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुम्बालय- 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरव्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कामरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एमएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मावडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से पता डूरा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 13.06.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र, शोभजी का गुडा, ग्राम-बोडकी, तहसील - लसाडिया, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने मुद्दाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित मुद्दाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

देशीय अधिकारी

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) limited cannot be held...

मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गणेशलाल पुत्र वेणीराम गायरी निवासी खाड़ खंडोल ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी पुत्री माया (16) जो नाथूलाल गायरी निवासी मालपुर झाडोल के घर पर शादी में गई थी, जहां से उसकी पुत्री लापता हो गई। पीड़ित ने शंका के आधार पर केशुलाल पुत्र नानालाल गायरी निवासी भीण्डर पर उसकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मार्बल से भरा ट्रेलर हाईवे में गिरा



उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चोर बावड़ी के समीप हाईवे ठेकेदार की लापरवाही के चलते मार्बल ब्लॉक से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर रोड़ किनारे पलट गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल

हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गोगुंदा से उदयपुर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह हाईवे ठेकेदार द्वारा ब्लॉक काट रखे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार मजबूत से मार्बल के ब्लॉक भरकर उदयपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक खड्डों में गिर गया और अनियंत्रित होकर रोड़ किनारे जाकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल को 108 की मदद से नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। वही हाईवे टीम द्वारा ट्रेलर को बीच मार्ग से हटाने के प्रयास जारी हैं।

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के हथियार से हमला हुआ समझकर चर घंटाघर थाने से जाब लालघाट पर पहुँचा को घायलावस्था में एमबी चिकित्सालय और इसके परिजनों रात्रि को परिजन अ को उठाकर एक लेकर गए, जहां चिकित्सालय लेकर भी उपचार समझ में को ही इसे अहमदाबाद पर उपचार के दौरान तोड़ दिया। सूचना पर घंटाघर अहमदाबाद गए पोस्टमार्टम करवाक सुपुर्द किया। इधर इ ने जांच करते हुए पंकज उर्फ रामलाल लालघाट पर गए, जहां पर इनका ट्यूरिस्ट पार्टी देने पर कमीशन के लेने- देन को लेकर को लेकर विवाद हो गया। इस पर चारों ने मिलकर इदरीस उर्फ सद्दाम पर लोहे के पाईप, धारदार

जा रही है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 एफ: 470, यू. सी. सी. आर्. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादही, उदयपुर (राज.)
 ई-मेल: forpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स स्काई स्टोन द्वारा क्वार्टर एवं फेल्सपार (अग्रधान स्निज) खदान प्लॉट संख्या 36 खनन क्षेत्रफल 4.0090, उत्पादन क्षमता 264890, (कुल क्वार्टर क्षेत्रफल 19.8418 हेक्टेयर, कुल क्वार्टर उत्पादन क्षमता 1382381 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम- बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला- उदयपुर से सम्बन्धित क्वार्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- चूंकी मैसर्स स्काई स्टोन, खनन पट्टा प्लॉट संख्या 36 खनन क्षेत्रफल 4.0090, उत्पादन क्षमता 264890 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा बोडकी क्वार्टर एवं फेल्सपार (अग्रधान स्निज) माइन क्वार्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्वार्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाएं 1. मैसर्स ए एम आर स्टेन एम एल न. 01/2018 एरिया 3.8605 हेक्टेयर 2. मैसर्स एस ए एम वी इण्डस्ट्रीज एम एल न. 02/2018, एरिया 2.2781 हेक्टेयर 3. मैसर्स बोडकी माईंस एम एल न. 03/2018 एरिया 2.9215 हेक्टेयर 4. श्री दाम्नेव तेली एम एल न. 05/2018, एरिया 3.3862 हेक्टेयर 5. श्री प्रदीप कोठारी एम एल न. 06/2018, एरिया 3.3865 हेक्टेयर (कुल क्वार्टर क्षेत्रफल 19.8418 हेक्टेयर, कुल क्वार्टर उत्पादन क्षमता 1382381 टन प्रति वर्ष आर. ओ. एम.) हैं।
- चूंकी मंडल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त परियोजना से सम्बन्धित साक्षिपत अभिलेख (कार्यकारी सारणि) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

- कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डुंगरी, जयपुर।
- क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अलख भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
- क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया, जिला - उदयपुर।
- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उय (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादही उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.06.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र, शोमजी का गुडा, ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरौना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी



उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले की घासा थाना पुलिस ने एक डेयरी संचालक पर महिला से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए दुकान में घुसकर उसका अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाकर जमकर मारपीट कर उससे 55 हजार रूपए लेने और 15 लाख रूपए के चैक लेने के मामले में छः आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि अंबालाल पुत्र दीपचंद जोशी निवासी घासा ने मामला दर्ज करवाया कि वह घासा में ही मंगल डेयरी के नाम से व्यवसाय करता है। 27 अप्रैल को वह अपनी डेयरी पर था। इस दौरान उसके पास एक फोन आया और फोन करने वाली महिला ने अपना नाम रतनी बताया और उससे 50

112

MO

112